

फर्द अहकाम

श्रीमती नारायणी डेवी बनाम वाकुलाल शीवापन्य

नाम न्यायालय A.C. 2

केस संख्या दावा 163/23

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	Contd.	<p>188 RTA 1955 विधि विरुद्ध होने से अपोषणीयता के आकार पर खरिज किया जाता है। बाकी दर्ज नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावे। यह निर्णय बहस उपरान्त ही खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p><i>Mubt Poo</i> सहायक कलेक्टर शुभपुर शहर वितीय</p>